

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स. 27(3)(2)पदो./अभि/2025/

जयपुर, दिनांक:- हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्न तालिका में वर्णित गैर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी को संस्थापन अधिकारी (Pay Matrix L-16) के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	वि.वि.
1.	श्री रामावतार मीणा	ST	15-01-66	01-04-2025	--
2.	श्री गोपीसहाय मीणा	ST	31-10-68	01-04-2025	UR के विरुद्ध चयनित
3.	श्री प्रहलाद लाल मीणा	ST	01-07-66	01-06-2025	UR के विरुद्ध चयनित
4.	श्री जयप्रकाश मीणा	ST	07-02-67	01-02-2026	UR के विरुद्ध चयनित

उपरोक्त चयनित अधिकारी रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का पात्र है परन्तु पदोन्नति के वास्तविक (नकद) लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन ।
4. उप निदेशक अभियोजन, ।
5. संस्थापन वरिष्ठ शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:-कार्यालयध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर